विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-25 का उत्तर

---

25 (क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 के सभी श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों की पेंशन बन्द कर दी गई है?	जी नहीं। उत्तर प्रदेश शासन के गजट नोटीफिकेशन संख्या–सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28-03-2005 के क्रम में राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में 01-04-2005 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना) से आच्छादित हैं।
(ख) यदि हाँ, तो किस वर्ष से?	प्रश्न नहीं उठता।
(ग) पुरानी पेंशन के स्थान पर कौन सी पेंशन स्कीम लागू की गई है उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	दिनांक 01-04-2005 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान पर आधारित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत कार्मिक के मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के कुल योग के 10 प्रतिशत का अंशदान कार्मिक द्वारा किया जाता है तथा उसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा कार्मिक के मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के कुल योग का 31 मार्च, 2019 तक 10 प्रतिशत तथा उसके पश्चात 14 प्रतिशत का अंशदान किया जाता है। उक्त कुल अंशदान को भारत सरकार द्वारा स्थापित पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के निर्देशानुसार NPS Trust को ट्रस्टी बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उक्त धनराशि NPS Trust द्वारा पेंशन प्रबंधकों को PFRDA के निर्देशानुसार निवेशित किये जाने हेतु उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में निम्नांकित पेंशन प्रबंधक नामित है:- 1- SBI Pension Fund Scheme 2- UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme 3- LIC Pension Fund Scheme राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति पर कार्मिक को प्राप्त होने वाली वार्षिकी की गणना कार्मिक द्वारा सेवाकाल में किये अंशदान व नियोक्ता अंशदान की संयुक्त धनराशि के निवेश उपरांत प्राप्त सकल संचित धनराशि के आधार पर आगणित होती है। सकल संचित धनराशि से सेवानिवृत्त कार्मिक को अधिकतम 60 प्रतिशत नगद भुगतान प्राप्त हो सकता है एवं शेष धनराशि से पेंशन हेतु वार्षिकी का क्रय किया जाना निर्धारित है।

(घ) क्या पुरानी पेंशन पुन: प्रारम्भ करने की कोई योजना है?	जी नहीं।
(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?	• दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त केन्द्र सरकार की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित किया गया है । • दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। • प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अंर्तगत माह अगस्त, 2022 तक 5,39,607 सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के एवं स्वयात्तशासी संस्थाओं के 3,05,333 कर्मचारियों का पंजीकरण एन0पी0एस0 में किया जा चुका है। माह अगस्त, 2022 तक सरकारी कर्मचारियों के प्रान खातों में रू0 25,851 करोड़ की धनराशि तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रान खातों में रू0 11,771 करोड़ की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों, संगठित क्षेत्र के कार्मिक तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लायी गयी है। • उपर्युक्त कारणों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू किया जाना संभव नहीं है।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री।